character, and has been established by the minority other things automatically follow. The rights flowing from Article 30 need not be given by anyone. This declaration by itself brings in the Constitutional rights in its train.

A lot was said by my friends on the other side about the Bill to be brought by the Government. I may submit that once this character has been recognised, *there is no necessity* or *any* Bill and only a case of regulation. Any regulation that transgresses the powers will have to be struck down as violative of Article 30 of the Constitution.

My friend Dr. Ramji Singh has referred to certain aspects. Particularly he has said that it was the legislature that has brought this Act of 1920 to show that there was nothing wrong. As I said, it was the legislature in 1920 that totally obliterated the societies that existed under the Societies Registration Act; and I am confident, if 1920 Act was not there, the societies which were responsible for establishing that institution would have after 1950 claimed that it was a minority institution and, in such case, this Bill was un-necessary. Therefore, let us not go into those questions.

I am submitting that the minorities have suffered a lot in this country for the last 30 years. We, as politicians, have not allowed them to join the mainstream of our national life. We have been using them for the purpose of our selfish ends to elections whenever it has become necessary for us to do so. The propsperity and cohesive nature of the country would stand strengthened in the minorities asserting their rights.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): The Bill which is under....

MR. CHAIRMAN: Shri Chitta Basu will continue.

Now we take up Half-An-Hour Discussion. Shri Arjun Singh Bhadoria.

18.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF CHAMBAL VALLEY AREA

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : (इटावा) : सभापति जी, संसदीय इतिहास में यह एक संयोग है, यह एक अनोखी घटना है संसदीय इतिहास में जबकि एक प्रश्न तीन विभिन्न रूपों में तीन सप्ताह में तीन बार आया है । पहली बार जब यह सवाल सदन में आया तो इस सवाल को देश के पुलिस मंत्रालय या गृह मंत्रालय के सुपुर्द करके इसे टालने की कोशिश की गई । हमारा प्रश्न सम्पूर्ण चम्बल घाटी के विकास और उस क्षेत्र में बहने वाली पांच नदियों, हिमालय की कोख से निकली जमनोत्री, राजस्थान से निकलने वाली चम्बल और मध्य प्रदेश से निकलने वाली तीन नदियां बकारी, पहूज और सेंफ, से सम्बन्धित था । ये पांच नदियां एक ही स्थान पर मिलती हैं, संगम करती हैं, जिन को पंचनदा कहते हैं । पंजाब में सिर्फ पांच नदियां बहती हैं और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये पांच नदियां एक केन्द्र पर जुड़ती हैं, मिलती हैं और एक संगम बनाती हैं । इस विकास के सवाल को ला एण्ड आर्डर, न्याय और व्यवस्था का सवाल बता कर के, समाप्त करने की कोशिश की गई लेकिन मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी की कोशिश से, उन के हस्तक्षेप से इस सवाल को गृह मंत्रालय की हथियारबन्द पुलिस के दफ्तर से निकाल कर, योजना आयोग की ठंडी अलमारी में रखने की कोशिश की गई । फिर से यह दूसरा सवाल ठीक एक हफ्ते के बाद 28 मार्च को आया । 28 मार्च को हमारे माननीय राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया, वह तो उत्तर वहीं देंगे जो ठंडी अलमारी से

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

निकल कर योजना आयोग से आएगा । मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि देश का योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन एक सफेद हाथी है और इस योजना आयोग में सेवा मुक्त होने के बाद जो लोग निष्क्रिय और साथ ही साथ निस्तेज अधिकारी होते हैं, उन के पुराने भ्रष्टाचार का इनाम दे कर वहां पर बैठला दिया जाता है । उन को देश की आम जनता की जिन्दगी की कोई जानकारी नहीं रहती है । उन्हीं लोगों की तरफ से स्वायल कन्जरवेशन का सवाल बना कर 28 तारीख को जवाब देने की कोशिश की गई । कहा यह गया कि हम 5 वर्षों के अन्दर जमीन को हमवार कर के 20 हजार लोगों को काम देंगे लेकिन इस सवाल का जवाब बनाने वाले यह भुल जाते है कि अगर 5 वर्षों के अन्दर लोगों को काम देने की कोशिश की गई, तो अगले आने वाले पांच वर्षों के अन्दर 20 हजार लोग वहां दुर्धर्ष डाकुओं की गोलियों के शिकार बना दिये जाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ स्वायल कन्जर्वेशन से ही सम्बन्धित नहीं है । इतने सालों तक से जो उजड़ा और पिछड़ा इलाका है, उस का विकास कैसे होगा, यह सवाल भी था लेकिन इस का कोई सही उत्तर न दे कर दोबारा इस को टालने की कोशिश की गई । तीसरी बार ठीक 14 दिन के बाद यह सवाल 11 अप्रल को फिर से सदन में आया, जिस का उत्तर भी निराशाजनक दिया गया । उस उत्तर से उस क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं और जो निर्वाचित लोक सभा के सदस्य हैं, उन सभी को बहुत बड़ी निराशा हुई ।

मैं आप के माध्यम से सरकार के कानों तक यह सूचना, यह खबर पहुंचाना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही, तो जिस तरह 1907 में उस इलाके में, मध्य भारत में जो हालत पिंडारियों की थी, वह फिर से उस इलाके में बनने वाली है । पिंडारियों की सी स्थिति बनने वाली है । यदि सरकार ने इस समूचे सवाल को ले कर उस क्षेत्र का विकास करने का प्रयत्न नहीं किया । इस सवाल पर मैंने कहा कि सन् 1907 में वारेन हेस्टिंग ने ठीक से इस का ब्यौरा दिया था ।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश के सम्पूर्ण वरिष्ठ नेतृत्व और शासन में बैठे हुए सम्पूर्ण वर्तमान शासकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को सफेद हाथी योजना कमीशन (प्लानिंग कमीशन) को सुपुर्द कर के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना यह राष्ट्र हित में नहीं होगा । यह सफेद हाथी है—योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन । जितने भी सेवामुक्त और शक्तिहीन उच्च नौकरशाह होते है उन्हें ही अपने पुराने भ्रष्टाचारों के लिये पुरस्कार दे कर योजना आयोग में बैठा दिया जाता है । ऐसे लोग जिनको वस्तु स्थिति का कोई ज्ञान नहीं, जिन का देश की समस्याओं से कोई लगाव नहीं, वे समस्याओं का समाधान क्या तलाश करेंगे ?

चम्बल का प्रश्न आज देश के लिये राष्ट्र का गौरव है । बिना उस क्षेत्र के विकास के देश के उस बड़े हिस्से से जो देश के मध्य के तीन राज्यों का क्षेत्र है, जो देश का तीन-चौथाई भाग है वहां से खुली लूट, डकैती, हिंसा और जंगली-पन का खात्मा संभव नहीं है । इस

हिंसात्मक मनोवृत्ति को बेरोजगारों को काम दे कर, अशिक्षितों को शिक्षा दे कर, संस्कारहीन को नये संस्कार देकर, यातायात की असुविधा को दूर कर के उस क्षेत्र की प्रतिवर्ष नदियों द्वारा कटती हुई मिट्टी को रोक कर, पंचनदे पर बांध बना कर, सिंचाई की व्यवस्था कर के, भारी बुलडोजरों के जमीन को समतल करके, नयी सिंचाई की व्यवस्था करें, कम से कम तीन नई रेल लाइन उस क्षेत्र में दे कर उबड़-खाबड़ सैंकड़ों वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र को एक हरी-भरी खुश-हाली देकर उसका सुन्दर शांतिप्रिय नागरिकों की घाटी के रूप में निर्माण करें ।

सभापति जी, वहां के गरीब लोग, भूखे और बेकार लोग कब तक दो चक्कियों के पाट के बीच में पिसते रहेंगे ? एक चक्की का पाट वहां का निराश उपेक्षित, पुलिस द्वारा बनाया गया बन्दूकधारी डाकू । चक्की का दूसरा पाट हैं बंदूक और संगीनधारी डाकुओं से भी बड़ा डाकू पुलिस फोर्स ।

चम्बल के क्षेत्र में साक्षरता की क्या स्थिति है ? आप और सदन यह जान कर आश्चर्यचकित हो जायेंगे कि पूरे देश में साक्षरता 29.50 है । इसमें ग्रामीण साक्षरता सिर्फ 23 प्रतिशत है और औरतों में साक्षरता केवल 10 प्रतिशत है । यह पूरे देश की स्थिति है, लेकिन चम्बल के इस इलाके में कोटा से ले कर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इटावा, जालोन बांदा और झांसी के बुन्देलखंड क्षेत्र में साक्षरता केवल 11 प्रतिशत है और ग्रामीण अचल में नारी जाति की साक्षरता इतनी चिन्ताजनक है जो कि 2.5 प्रतिशत से भी कम है । 30 वर्षों तक देश की स्वतंत्र सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी वहां पर करने का प्रयत्न किया, मैं बहुत ही भारी मन से, सभापति जी आपके माध्यम से मंत्रियों और सरकार को बताना चाहता हूं कि उस किये हुए को यह वर्तमान सरकार और कम करना चाहती है ।

सभापति जी, 1969–70 में, उस समय भी मैं लोक सभा का सदस्य था। केन्द्रीय सरकार से 72.50 लाख रुपये राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में उस भयंकर बीहड़ क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने के लिये, रोड कम्युनिकेशन के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया था । तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव कर के कि सड़कों के निर्माण और विकास से डाकुओं के आंतक में कुछ कमी होगी । 70 से लेकर 74 की बनी हुई सड़कें आज जनता पार्टी की सरकार के दो वर्षों के कार्य-काल क लिये फूट-फूट कर रो रही हैं। बनी हुई सड़कें बिना मरम्मत और देखभाल के टूट रही हैं । आज न उन सड़कों की देखभाल हो रही है और न उनकी मरम्मत का कोई ख्याल किया जा रहा है । जो अधबनी हैं वे सभी सड़कें अपने भाग्य के लिये रो रहीं हैं। फूफचौरेला रोड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है, वह जो अधबनी पड़ी है । जो बनी है, वह भी टूट रही है । मैंने उस सड़क को स्वयं भी कई बार देखा है ।

सभापति जी, आज जिस क्षेत्र को चम्बल घाटी के नाम से जाना जाता है उसे गुरिल्ला युद्ध का मानसिक प्रशिक्षण इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मिला है । जब अराजकता बढ़ गई तो लड़ाकू जातियों ने अपनी गुरिल्ला लड़ाई के लिये धन एकत्र करने के लिये लूटपाट शुरू की ।

[श्री अर्जुन सिंह भदोरिया]

मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पिंडारियों ने मध्य भारत के इसी क्षेत्र में अपना आतंक कायम किया । 1907 में हैस्टिंग्स ने इसका जिक्र करते हुए एक बहुत ही तफसील से व्यौरा दिया है ।

देश के इस हिस्से में जब भयंकर अकाल आया तो वहां के लोगों ने अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर लूटपाट शुरू की । वहां के निवासी चोरी करने को हीन और डकैती को साहसिक काम समझते हैं । उस क्षेत्र में आज भी स्वतंत्रता के 30 वर्षों के पश्चात् भी जिसकी लाठी उसकी भैंस है । उस क्षत्र में जहां पर गरीब जनता दुखी है उनमें से विशेष कर हरिजन तो बिल्कुल ही बदतर स्थिति में हैं ।

सभापति जी, जब तक सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक 2, 4 दस्यु दलों का सफाया करने से कुछ नहीं निकलने वाला है । चम्बल घाटी में जब तक भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी है तब तक चम्बल का क्षेत्र इसी प्रकार से धधकता रहेगा । अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की वर्तमान सरकारों ने डाकू समस्या पर सोचना ही बन्द कर दिया । केन्द्रीय सरकार भी चम्बल घाटी की समस्या को कानून और व्यवस्था की निगाह से ही देखती है । यह सोचकर पुलिस की संख्या में मनमाने ढंग से वृद्धि की जा रही है । पुलिस को जितना ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है उतनी अधिक वह जंगली और निरंकुश होती जा रही है ।

सभापति जी, चम्बल घाटी की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहां डाकुओं के लिये अपने को छिपाये रखना बहुत आसान है । चम्बल, यमुना, क्वारी, पहुंज, सेंध और अनेकों सहायक नदियों से घिरे उत्तरी सिरे पर भयावह बीहड़ है तो दूसरी तरफ शिवपुर, पहाड़गढ़, गुना और शिवपुरी इलाके में भारी घनघोर जंगल हैं । उस क्षेत्र की जमीन पर आबादी का दबाव दरिद्रता के कारण अत्यधिक बढ़ता जाता है । उस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय जो पशुपालन था उसे सरकार के जंगल विभाग ने लगभग चौपट कर दिया है । नदियों के किनारे का यह पूरा क्षेत्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण दिन प्रति दिन उजड़ता जा रहा है । सरकार का जो कुछ भी वहां पर जमीन को बुलडोजरों द्वारा समतल करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम है वह केवल प्रचार मात्र ही है । 3-9-79 को यू०एन०आई० के संवाददाता के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर रेवाइन्स में से केवल 1600 हैक्टेयर में भूमि को समतल किया गया है । भूमि को समतल करने का खर्च भी 0.7 हैक्टेयर पर 2,000 रु० आता है जिसे छोटा किसान या भूमिहीन लोग खर्च कर के जमीन नहीं खरीद सकते । इसलिये जो किया भी वह कटता जा रहा है । बरबादी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ।

उस प्रभावग्रस्त क्षेत्र में जितने भी अपराध होते हैं उसकी तीन चौथाई जिम्मेदारी वहां की पुलिस पर है । पुलिस का उस क्षेत्र के निवासियों के साथ व्यवहार बिल्कुल उसी प्रकार से ही है जिस प्रकार शिकारी लोग जंगली

जीव जन्तुओं के साथ करते हैं । इसी-लिये एक समर्पण के बाद दूसरा समर्पण और हर समर्पण के बाद नये डाकुओं के पहले से अधिक भयंकर गैंग बढ़ते चले जा रहे हैं । आज उससे अधिक डाकू यहां पर फिर पैदा हो चुके हैं जितनों ने लोक नायक के सामने समर्पण किया था ।

जब तक सरकार और समाज अपराधियों के मन में यह विश्वास पैदा नहीं कर देती कि उनके अपराधों के कारणों को तलाश कर के दूर किया जायगा, अगर कुछ अज्ञानवश अपराध हो भी गया हो तो उनको सहानुभूति रखते हुए अपने में सुधार के लिये ही दण्डित किया जायेगा और दंड भोगने के बाद उन्हें एक औसत नागरिक के रूप में ही समाज में लिया जायेगा । यह नहीं होगा कि किसी युवक से एक बार भूल से गलती होने पर पुलिस के अपराधपूर्ण रजिस्टर में एक बार नाम दर्ज हो जाने से उसका नाम सदैव के लिये अपराध सूची में लिख लिया जायगा । यदि समाज और शासन उस क्षेत्र की मूल समस्याओं को समझ कर उनका संभव समाधान अगर करें तो अपराधों में भी कमी हो सकती है । मैं यह बात बहुत ही विश्वास के साथ चम्बल घाटी के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में कह सकता हूं । पुलिस यदि समाज के प्रतिनिधियों की हैसियत से काम करे और उसका मूल लक्ष्य अपराधों की रोकथाम और कमी करना हो तो बहुत कुछ अपराध रुक सकता है । पुलिस यह सोचती है कि यदि अपराधों में कमी होगी तो उनका धंधा रुक जायेगा । पुलिस का स्वार्थ इसी में है और जितने अधिक अपराध बढ़ेंगे उतनी अधिक उनकी आमदनी बढ़ेगी ।

मैं यहां पर डाकुओं के नाम का कोई जिक्र न करके उन्हें इतिहास पुरुष नहीं बनाना चाहता । मैं कुछ अब सुझाव देना चाहता हूं ।

1. इस उपेक्षा की नीति की तरफ सरकार का फिर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । आवागमन के साधनों के लिये जो भी धन विश्व बैंक और ई० ई० सी० यूरोपीय इकनामिक कम्युनिटी से जो भी सहायता चली आ रही है भरपूर उस क्षेत्र में खर्च किया जाये । राज्य सरकारें अगर खर्च न करें तो केंन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान दे ।

2. विश्व बैंक की तरफ से पचनद पर जहां पांच नदियों का संगम है वहां पर जो बांध के लिये 60 करोड़ रू० करीब करीब मन्जूर हुआ, जिसका सर्वे हुआ, आज उसका पता नहीं चल रहा है कि उस पर क्या हो रहा है, उस काम को शीघ्र पूरा किया जाय ।

3. मेरा सुझाव है कि उस क्षेत्र के जो भी संसद् सदस्य हैं, राज्य गृह-मंत्री, राज्य योजना मंत्री, उस क्षेत्र के विधायक और प्लानिंग कमीशन के एक प्रतिनिधि, इन सब की एक समिति बनायी जाए, जिसमें तीन-तीन व्यक्तियों की एक-एक टीम कभी वहां जाकर काम का निरीक्षण करे, वहां की आवश्यकताओं को देखे, जिस ढंग से वहां का विकास संभव हो, उसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार को देती रहे ।

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

4. श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में वहां के निर्माण कार्य को देखने के लिए एक समिति गठित हुई थी। जनता पार्टी की सरकार ने उस समिति को भी इन्दिरा गांधी की योजना समझ कर समाप्त कर दिया । उस समिति का गठन फिर से किया जाये ।

5. हमारा सुझाव है कि तीन राज्यों के उस क्षेत्र में कम-से-कम वहां पर प्रत्येक राज्य के उद्योग धंधे, राजकीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जायें और लघु तथा कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारियों के प्रोत्साहन के लिए यहां विकास योजनायें शुरू की जायें ।

6. केन्द्र सरकार की ओर से पूरे क्षेत्र के लिए, शिक्षा के विकास और प्रौढ़ शिक्षा के लिए पृथक् बजट एलाट किया जाये । हर वर्ष उस क्षेत्र में 100 प्राथमिक पाठशालायें, 50 माध्यमिक पाठशालायें, जूनियर हाई स्कूल, और 30 हाई स्कूल तथा 5,5 टेक्नीकिल स्कूल इन तीन राज्यों में पृथक्-पृथक् स्थापित किये जायें ।

7. उन तीन राज्यों के क्षेत्र में, जो भारतीय सेना के सिपाहियों का क्षेत्र है, जो युद्ध के दिनों में तोप की खुराक हैं, जो युद्ध के समय काम में आते हैं, उस क्षेत्र के लिए एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाये ।

8. इस पूरे क्षेत्र में वर्तमान पुलिस को हटाकर सेना के सेवामुक्त सैनिकों का एक पुलिस दल गठित करके रखा जाये । इस नये फोर्स को भ्रष्टाचार का अनुभव न होने के कारण वहां पर काम मानवीय ढंग पर चलना सम्भव होगा ।

9. एक रेल लाइन भिंड से फर्रुखाबाद तक डाली जाये और दूसरी भिंड से सहसों तक चलाई जाये ।

10. आगरा से वहां होकर एक रेलवे लाइन से दिबियापुर से मिलाया जाये ।

11. कटी हुई भूमि में वन लगाने की नीति में परिवर्तन किया जाये । उद्देश्य केवल कटाव रोकना ही न हो, अपितु वनों से वहां के बेरोजगारों को रोजी दिलाना भी हो । गांव के लोगों का सहयोग लिया जाये और पैदावार में उनको हिस्सा दिया जाये ।

अन्त में मैं अपने राज्य मंत्री श्री फजलुर्रहमान से अपील करूंगा कि वह कमेटी की यहां पर घोषणा करें और जो मैंने एक सिद्धान्त बताया है और साथ ही साथ मैं उनको दो दिन के लिए उस क्षेत्र में चलने के लिए निमंत्रित करता हूं कि वह उस क्षेत्र को चलकर देखें और वहां पर उनकी क्या दिक्कतें हैं, उसको महसूस करें और योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष उसे उपस्थित करें । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि चम्बल घाटी के विकास का काम शुरू होगा, ताकि बढ़ती हुई हिंसा रुके और वहां के नागरिक शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर रहमान) : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का आभारी इसलिए हूं कि इनको चिन्ता है, बेचैनी है और क्षेत्रीय प्रेम इनके दिल में इस क्षेत्र के विकास के लिए उमड़ रहा है । इन्होंने जो बातें बतायी हैं कि पहली बार यह होम मिनिस्ट्री के पास चला गया, दोबारा जवाब आया, यह मेरी बदनसीबी है कि यह मेरी बातों से सन्तुष्ट न हो सके ।

यह अपनी जगह पर मानी हुई बात है कि यह चम्बल वैली 3 प्रान्तों में है—राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा इसमें शामिल है । सिर्फ ला एंड आर्डर का प्राबलम न समझकर, इसके आर्थिक विकास की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये, तीनों राज्य सरकारों को बुलाकर केन्द्रीय सरकार ने बात की और उसकी तरफ ध्यान दिया और उसके लिए योजनायें बनती गई । यह माननीय सदस्य का कहना कि कोई काम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है ।

सभापति जी, शायद आपने कभी उस हल्के को देखा कि नहीं, पता नहीं पर मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने प्लानिंग कमीशन में आने से पहले उस क्षेत्र का दौरा किया और शायद मेरा वही दौरा मुझे यहां लाया है ।

वह इलाका बरसों से पिछड़ा हुआ है, आवागमन का कोई रास्ता नहीं और उस एरिया के विकास के लिए साधनों की आवश्यकता है । सिर्फ रुपये से ही उसका विकास नहीं होगा, यन्त्र भी ले जाने पड़ेंगे और दूसरा सामान भी ले जाना पड़ेगा । वहां का रास्ता कुछ ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा है कि जिसमें दिक्कतें हैं और यही दिक्कतें विकास की प्रगति में तेजी लाने में बाधक बन जाती हैं ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है । मैं उनकी सूचना के लिए बता दूं कि पिछली योजनाओं से ले कर आज तक राजस्थान में लगभग 19 हजार हैक्टेयर, यू० पी० में लगभग 13 हजार हैक्टेयर और मध्य प्रदेश में 3.61 हैक्टेयर हजार हैक्टेयर जमीन का विकास किया जा चुका है और उस पर 548.49 लाख रुपए खर्च कर दिए गये हैं, जिस से पावर और इरिगेशन की भी सुविधा दी गई है । मैं मानता हूं कि जितनी प्रगति होनी चाहिये थी, और जिस रफ्तार से होनी चाहिये थी, वह नहीं हो सकी । लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम प्लान और स्कीम बना देते हैं, और राज्य सरकारों के द्वारा भी प्लान और स्कीमें यहां आती हैं, और मेरे जैसे शख्श उन्हें देख कर काम के लायक बातों को छांट लेते हैं, मगर आखिर काम तो राज्य सरकारों को ही करना है ।

मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि हम चम्बल और यमुना नदियों के वाटर-शेड के विकास के लिए एक इन्टेग्रेटिड स्कीम को लागू करने जा रहे हैं । प्लानिंग कमीशन से हमने उसको क्लीयर कर दिया है । इस वक्त वह स्कीम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में है । मुझे आशा है कि वह स्कीम बहुत जल्द काम में लायी जाएगी ।

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, लगभग 220 किलोमीटर तक सड़कें बनी हैं । मैंने पहले ही कहा है कि वहां पर आवागमन के साधन बहुत कम हैं और जमाने का पिछड़ापन है । अंग्रेजी राज में और पिछले कांग्रेस के राज में भी वहां कोई खास प्रगति नहीं हुई है । जब से जनता पार्टी सरकार में आई है, वह बड़े जोर से यह कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके, हम चोरों और डाकुओं से वहां के लोगों को मुक्ति करा दें और आवागमन की सुविधा दें । लेकिन वहां पर सड़कों और रास्तों की कठिनाई को दूर करना कोई आसान काम नहीं है । वहां पर जिस जमीन पर काश्त की जा सकती है, जहां उपज हो सकती है, वह छोटे छोटे नालों की वजह से खराब होती जा रही है । उसकी रोक-थाम के लिए भी स्कीमें और

[श्री अर्जुन सिंह भदोरिया]

प्राजेक्ट चलाये गये । कनजरवेशन आफ सायल की स्कीम भी लागू की गई।

माननीय सदस्य को वन विभाग से भी शिकायत है । उन शिकायतों के बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं । लेकिन माननीय सदस्य ने सरकार की नजर में ला दिया है कि वन विभाग की तरफ से क्या अत्याचार होता है, जिसके कारण जानवरों को चराई और पालनपोषण में कठिनाई होती है ।

जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है, मैंने उस दिन भी कहा था कि यह मामला होम मिनिस्ट्री से सम्बन्ध रखता है । असल में चम्बल वैली का सवाल ऐसा है, जिसमें होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री सब की सब आ जाती हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हम चाहते है कि विभिन्न विभागों की स्कीमें जमीन पर पहुंच जायें, लेकिन जब यहां से स्कीमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के पास जाती हैं, तो हम नहीं जानते कि उनके विशेषज्ञ किस तरह काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं । अगर हम सीधे इन्टरफीयर करें, तो कहा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के काम और ऐडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करती है ।

मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने जो सुझाव और मश्वरे दिये हैं, मैं उन तमाम की जांच पड़ताल जरूर कराऊंगा, और उनमें से जो बातें अमल के लायक होंगी सरकार को उन्हें अमल में लाने में कोई दिक्कत या उज्र नहीं होगा। उनकी यह इच्छा है कि एक कमेटी बना कर योजना विभाग के किसी विशेषज्ञ के साथ, या मैं स्वयं, उनके नेतृत्व में उस सरजमीं पर चलें और वहां की हालत को देखें, । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्य को, जिनका वह हल्का है, या जो लोग इससे सम्बन्धित हैं, उनको ले कर हम जरूर चलें ।

जहां तक परमानेंट कमेटी का सवाल है अभी शायद वह कार्यान्वित नहीं हैं । प्लानिंग कमीशन के लोग अगर इन्सपेक्शन में जा कर देख कर आ जायें, उससे तो काम होता नहीं है। काम तो करना है राज्य सरकारों को या केन्द्रीय सरकार के जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट ने, कुछ उनको भी करना है और वह सब प्लानिंग कमीशन के अण्डर में नहीं हैं । हमारे यहां के लोग जा कर के निरीक्षण कर के यही ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि उस की प्रगति की, या उस की कमी की या गति की रिपोर्ट दे सकते हैं । तो यह भी एक आप का सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है । मैं आप को विश्वास दिलाता हूं और मैं आप को धन्यवाद देता हूं, आप को उस जमीन से जो लगाव है, जो आप को इन स्कीमों के लिए बेचैनी है, आप धैर्य रखिए, आप से कम बेचैन आप की बातों को सुनकर यह लोकप्रिय जो आप की सरकार है, वह नहीं है । लेकिन उन अड़चनों को भी जरा सोचें कि किन अड़चनों और दिक्कतों में इन साधनों को आप तक पहुंचाया जायगा और कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप की सेवा के लिए सारी चम्बल और जमुना की योजना को जल्दी से जल्दी हम कार्यान्वित कराएंगे ताकि आइंदा एलेक्शन में आप को इस जमीन में कोई कठिनाई न हो ।

सभापति महोदय : डा० रामजी सिंह, इतने सुन्दर जवाब के बाद आप को अभी कुछ पूछना है ?

डा० रामजी सिंह : (भागलपुर) : सभापति महोदय, सचमुच में जवाब तो इतना सुन्दर है लेकिन चम्बल के नाम से एक तरफ जब डाकुओं का भय होता है तो चम्बल घाटी में जो शांति का प्रयोग हुआ उस से भी

अंगुलमाल और वाल्मीकी का स्मरण होता है और यही कारण है कि हमारे माननीय सदस्य भदौरिया साहब उस क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिला रहे हैं।

माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि चम्बल का यह इलाका बड़ा खतरनाक है। चार तरह की जमीन है जिस में डेढ़ मीटर, दो मीटर गहरी, तीन मीटर गहरी और पांच मीटर गहरी तक है और वहां उस क्षेत्र के विकास के लिए जयप्रकाश बाबू के समय जब डाकुओं ने समर्पण किया उसी समय से यह बात नहीं चल रही है। पवार कमीशन आज से 60 वर्ष पहले बना और उस ने सिफारिश की थी कि इस समूचे क्षेत्र की जमीन को ठीक कर के यहां विकास किया जाय। उसके बाद सीयल कंजर्वेशनके अमेरिकन एक्सपर्ट डा सौहार्ट जब यहां आए तो

"He recommended afforestation scheme, control of over-grazing and contour-bunding of the land starting from the ridge....."

तो यह सारी बातें हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह क्षेत्र जो 60 वर्षों से उपेक्षित रहा है। और अब खास कर के जिन्होंने समर्पण किया करीब चार सौ डकैत भाइयों ने, उन्होंने जो योगदान किया है उस के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष जिम्मेदारी आती है। साधारण विकास सब जगह होता है। योजनाएं सब जगह बनती हैं, लेकिन इस के लिए विशेष जिम्मेदारी आती है और इसीलिए अभी इधर एक अखबार ने लिखा है—

"To change the grim landscape.."

सभापति महोदय : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

डा० रामजी सिंह : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चम्बल घाटी की जो ऐसी दुर्दशा है और जो उस का एक ऐतिहासिक माहौल बना उस के लिए क्या योजना विभाग एक विशेष योजना तयार करेगा ताकि जो दूसरे लोगों ने जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से गलत पेशा अख्त्यार करते हैं उन के सामने एक आदर्श हो कि नहीं, चम्बल में मोहर सिंह और माधो सिंह ने समर्पण किया था और केवल उन के जीवन का ही परिस्कार नहीं हुआ बल्कि उन के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक नया संस्कार हो गया ताकि लोग आगे डकैत न बन सकें, तो क्या आप इस के ऊपर विशेष कार्यवाही कर के योजना विभाग का एक विशेष सैल बनाएंगे जैसा आपने आश्वासन दिया ही है और आप जल्दी से जल्दी वहां महात्मा गांधी सेवाश्रम जवरा में है, जहां के लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए क्या आप उस स्वयंसेवी संस्था को योगदान देंगे ताकि सरकार और वह स्वयं-सेवी संस्था दोनों मिल कर उस क्षेत्र का उपकार कर सकें?

19 hrs.

श्री युवराज (कटिहार) : मैं माननीय राज्य मन्त्री से पूछना चाहूंगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को मिला कर जो चम्बल घाटी क्षेत्र कहलाता है जिस के विकास के लिए तीन तीन योजनाएं बनीं, आप को यह जानकर आश्चर्य होगा और मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं: कि वर्ल्ड बैंक की एस्सिटेंस से 1974–75 में जो योजना बनी थी, वह 57 करोड़ की योजना थी, लेकिन 4 वर्षों में यानी 1975–76, 1976–77, 1977–78 और 1978–79 में कुल 26 करोड़ रुपये का री-एम्बर्समेंट हुआ। अब हम एन्टीसिपेट करते हैं कि जनवरी, 1979 तक दस करोड़ खर्च होगा। मैं जानना चाहता हूं—क्या प्लानिंग कमीशन की जवाबदेही खत्म हो गई। ऐसा एरिया जहां लाखों हैक्टेयर जमीन है—क्या उस की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर छोड़

[श्री युवराज]

की जायगी ? मैं समझता हूं —इस में प्लानिंग कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो प्लान्स हम बनाते हैं, जिन को योजना आयोग कान्फरेंस देती हैं, और वह अण्डर-इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमें देखना चाहिये कि वह निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित होती है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि यह कालबद्ध योजना हैं—जून, 1980 तक मध्य प्रदेश में पड़ने वाले क्षेत्र की योजना पूरी तरह कार्यान्वित होगी और जून 1981 तक राजस्थान में पड़ने वाले क्षेत्र की योजना कार्यान्वित होगी। इस में सिचाई, ड्रेनज, किसानों की भूमि का विकास, सड़कें, कटाव का नियन्त्रण 5 लाख एकड़ एग्रीप्लड इरिगेशन, की योजना है जिस से जनता लाभान्वित होगी। मैं जानना चाहता हूं—इस में असाधारण विलम्ब क्यों हुआ है? यह कह देना काफी नहीं है कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं जानना चाहता हूं—आप ने जो योजना स्वीकृत की, जिस के लिये वर्ल्ड बैंक से एसिस्टेंस मिली, क्या आप ने पता लगाने की कोशिश की, क्या आप की कोई टीम गई थी कि 57 करोड़ की योजना इतने दिनों तक जो कार्यान्वित नहीं हो सकी—उस का क्या कारण है? क्या आप की ओर से कोई ऐसा प्रयास किया गया है?

श्री फजलुर रहमान : माननीय सदस्य डा० राम जी सिंह की बात का जवाब मैं क्या दूं। भारतवर्ष में जैसा उन्होंने कहा—एक बाल्मीकि नहीं अनेक बाल्मीकि पैदा हों। बाल्मीकि के अलावा अब तो तुलसी दास को भी पढ़ने लगे हैं। यह काम तो होम मिनिस्ट्री का था, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि इस नई योजना की बात क्या, जितनी भी स्कीमें हैं, सभी नई हैं। प्लानिंग कमीशन में सेल बने हुए हैं कि किस तरह की स्कीम को कौन सा एक्सपर्ट हैण्डिल करेगा। जब कोई योजना आती है तो प्लानिंग कमीशन में डिस्कस हो कर पास की जाती है। ऐसी नहीं है कि प्लानिंग कमीशन को कोई चिन्ता नहीं है या वह कोई देखरेख नहीं करती है। अगर देखरेख नहीं करेंगे तो अब तो रोलिंग प्लान का सिलसिला चल रहा है, फिर कैसे घटायेंगे और कैसे बढ़ायेंगे : इस लिये उस में हम लगे हुए हैं।

जहां तक आश्रम का सवाल है— प्रधान मन्त्री जी और डा० रामजी सिंह की एक ही विचारधारा है। प्लानिंग में ऐसा कोई अनुदान नहीं है जो आश्रम को दे सके....

डा० रामजी सिंह : आप विकास के काम के लिए दें।

श्री फजलुर रहमान : विकास का काम भी अगर प्लानिंग कमीशन स्वयं करती तो हम जरूर कहते कि यह भी कर लो, लेकिन इस को राज्य सरकार करती है, या दूसरे डिपार्टमेंट्स करते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य युवराज का सवाल है—57 करोड़ के खर्च की जो बात है उस में 18 करोड़ मध्य प्रदेश के लिये और बाकी राजस्थान के लिये हैं। मैंने कहा था कि 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन मार्च, 1979 तक यह 26 करोड़ हुआ है।

मैंने माननीय सदस्य भदोरिया जी का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार को कोई खुशी नहीं होगी कि इस पैसे को अपने खजाने में रख कर इण्टरेस्ट पर चढ़ायें। जब काम की सुविधा न हो, काम करने में इतनी अड़चनें हों, आवागमन के रास्ते ठीक न हों, तो काम धीमी गति से होगा। लेकिन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी इस पर निगरानी रखता है ताकि काम में जितनी तेजी हो सके, लावे। मैं यह भी कह दूं कि 26 करोड़ रुपये के अलावा मैंने 10 करोड़ रुपया और भी दिया है—1980 तक के लिये, ताकि काम में पैसे की दिक्कत न हो और जहां तक जल्दी हो सके, काम चले।

MR. CHAIRMAN: The House now stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 23rd April, 1979.

1.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April, 23. 1979/Vaisakha 3, 1901 (Saka).

GMGIPND—M—698 L. S.—2-7-79—880